MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the Minister may move that the Bill be passed.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

17.05 hrs.

MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Rao Birendra Singh.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : I beg to move :*

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to co-operative societies with objects not confined to one State and serving the interests of members in more than one State, be taken into consideration.

Sir, this is a measure which has been long over-due. The Multi-Unit Societies Act was passed by Parliament in 1942. But after that, there has been a thinking that this was not adequate for the objectives in view. There has been a lot of thinking on this Bill, since 1965. The Administrative Reforms Commission constituted an expert group, and on the basis of the recommendations of that group, an Expert Committee was appointed in 1971. Even the Cabinet approved of a draft for the Bill in 1975 ; again in 1976 ; and then again in 1977.

The Bill was also introduced in 1977. A Joint Select Committee was constituted. But unfortunately, before the Joint Select Committee could submit its report after 15 sittings, Lok Sabha was dissolved, and the Bill lapsed.

This Bill has been thoroughly drafted, re-drafted and considered in various fora, in the meetings of the Ministers of Cooperatives and various other bodies. Now I have been able to come finally before this House with this comprehensive Bill.

The purpose of this Bill is to empower the Central Registrar to have powers of incorporating multi-State Cooperative Societies which have functions in more than one State. At present, we have about 150 multi-unit cooperative societies. Out of them, about 20 are national level cooperatives, and it is necessary that they should be controlled by a uniform Act. At present, under the Act of 1942, the multi-unit societies are registered in the States in which their headquarters are located. This Bill will enable us to exercise a proper control, and regulatory measures can be framed for all national level multi-State cooperative societies.

I request that this Bill should now be passed within this session, so that it does not

*Moved with the recommendation of the President.

meet the same fate as it had met in 1977.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now Mr. Mool Chand Daga.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Kindly excuse me : I will speak tomorrow.

RAO BIRENDRA SINGH : This has to be passed to-day. If you don't want to speak, don't speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have called you, Mr. Daga.

RAO BIRENDRA SINGH : You can say : 'I support the Bill'.

MR. DEPUTY-SPEAKER : For the first time, why can't you say : "I support the Bill" and sit down ?

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर, जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य था कि इतनी बार आया और आज भी जिस प्रकार आया है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, हम लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम समझते थे कि यह आज नहीं आ पायेगा···

RAO BIRENDRA SINGH : Why were you not ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे मंत्री जी सारी बातों को जानते हैं, हम यह समझ रहे थे कि आज दो बिल पास हो जायेंगे, वही काफी हैं, लेकिन फिर भी यह बिल आ गया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब कभी इस प्रकार के बड़े बिल आते हैं, तो उनके लिए ऐसा होना चाहिए कि स्टन्डिंग कमेटी में ऐसे बिल पर डिस्कशन हो जाए और मेम्बरों को बिल के बारे में मालूम हो जाए और जो मेम्बर अपने सजेश्चन देना चाहें वे अपने सजेश्चन दे दें। अब यह बिल यहां पर डिस्कशन के लिए आ गया है और हम लोगों ने इसको माइनूटली नहीं देखा है और अगर हम जनरल बातें करेंगे, तो हम न्याय नहीं कर पायेंगे।

सोसाइटीज बनाने का जो उद्देश्य था, वह यह था कि गरीबों को उनसे लाभ मिले। अब वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश के अन्दर बहुत सी सोसाइटीज बन गई और हमारे मंत्री महोदय बड़े जागरूक हैं। इन्होंने अपने भाषणों में कई जगहों पर इनके बारे में कहा भी है और मैं उनको कोट करना चाहता था लेकिन वे आंकड़े मैं नहीं ला पाया। कितनी धनराशि, कितनी पूंजी इन कोआपरेटिव सोसाइटीज ने हड़प कर ली है। कितने मेम्बर ऐसे इन कोआपरेटिव सोसाइटीज में हैं, जो हमारे धन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोसाइटीज में जो डोमीनेटिंग लोग होते हैं, जिनकी मसल पावर होती है, वे बोर्ड में आ जाते हैं। क्या हमने सोचा है कि गरीब लोगों के लिए इन सोसाइटियों ने क्या किया ? 'एक सबके लिए और सब एक के लिए', यह कोआपरेटिव सोसाइटी का सिद्धान्त था। 'एक सबके लिए और सब एक के लिए', यह जो सिद्धान्त था, यह अमल में नहीं आया। आज मल्टी-स्टेट सोसाइटीज रजिस्टर हो गई और उसमें जो डाइरेक्टर बनेगा, जो अध्यक्ष बनेगा, वह गरीबों के लिए क्या करेगा। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं कि गांव के अन्दर जो हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसका एक सूत्र है वितरण प्रणाली का, उस सूत्र को भी कोआपरेटिव सोसाइटी पूरा नहीं कर पा रही हैं। कई जगहों पर हमारी सोसाइटी इस काबिल नहीं है कि एक सूत्र को पूरा कर दें। वहां पर एक इंडिविजुअल ऐसा आकर बैठ गया कि काम नहीं हो रहा है। एक शिकायत यह भी है कि जब सोसाइटी मांगती हैं, तो अधिकारी लोग उसको अलग कर देते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की जो धारणा थी कि इनसे हमारा गरीब वर्ग ऊपर उठेगा, वह पूरी नहीं हुई।

अब सोसायटीज के एकाउन्ट्स के चैकिंग की बात है। इसके बारे में कृपया मंत्री महोदय हमें बताएं कि क्या यह होता हैं। हमारे यहां जिस प्रकार से लोग एग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करते हैं और 70 परसेन्ट लोग गांवों में रहते हैं और राव बीरन्द्र

[श्री मूलचन्द डागा]

सिंह जी का भी 70 परसेन्ट समय हाऊस में जाता है क्योंकि इनका संबंध बहुत से विषयों से है, उनके लिए इन सोसाइटियों ने क्या किया। मंत्री जी यह बताएं कि कितनी सोसाइटीज आज भी ऐसी हैं, जिनके एकाउन्ट्स में अभी तक गड़बड़ घोटाला है और कितना रुपया सरकार का डूब बया है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि लाखों करोड़ों रुपया सरकार का कोआपरेटिव सोसायटीज से रिकवर होना बाकी है। उनके एकाऊन्ट्स को कौन आडिट करता है। एक इंस्पेक्टर जाता है और आडिट करता है। कोआपरेटिव सोसाइटीज के जो बेसिक उलूस हैं, उनके बारे में विकास अधिकारी और इंस्पेक्टर गांव में जा कर प्रचार नहीं करता है। इंस्पेक्टर, विलेज लेविल वर्कर या ग्राम सेवक और जो दूसरे मोटे-मोटे आदमी हैं, उनके हाथों में ही सोसाइटी पड़ी हुई हैं। और उन्हीं के लोग बैंकों में आकर बैठ जाते हैं, उन्हीं के लोग बड़ी-बड़ी जगहों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जो आप यह एक्ट बना रहे हैं, यह तो आवश्यक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एक्ट के बनने से इस बात की तरफ आपके अधिकारियों का ध्यान जायेगा।

आप तो इस सम्बन्ध में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे भी इस पर कुछ कहने का अवसर मिल गया। अभी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी भी आ गये हैं। वे भी इस पर ध्यान देंगे कि रूल्स जो यह कहते हैं कि उनका फाइनेन्स मेन्टेन होना चाहिए, और जो यह नहीं करते हैं उनकी संख्या क्या है। कितनी ऐसी सोसाइटियां हैं जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करती हैं। कितनी सोसायटियां इस तरह काम नहीं करती हैं और इसके क्या कारण हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहेंगे कि स्टेट्स जिम्मेदार हैं।

इन ग्रामीण सहकारी समितियों में कौन लोग आते हैं। गांव का जो 40 प्रतिशत गरीब आदमी है वह उनका मेम्बर नहीं बन पाया है। गरीब और अनपढ़ लोगों से झूठे दस्तखत करा लिये जाते हैं और बड़े आदमी फायदा उठा ले जाते हैं। आपने जो बीज और खाद्य की वितरण प्रणाली बना रखी है उससे बड़े-बड़े आदमी लाभ उठा जाते है, गरीब आदमी उससे रह जाते हैं। भगवान जानता है कि बड़े लोग इसको अपना अधिकार समझते हैं, और आपके अधिकारी कुछ का कुछ लिखकर चले जाते हैं। एक तो यह बात है।

एक आपका सुपर बाजार बना हैं। आपके सुपर बाजार में क्या होता है? मैं तो उसकी रिपोर्ट पढ़ पढ़ कर थक जाता हूं। बाजार से सामान खरीदा और सुपर बाजार में रख दिया। यह बात माननीय बीरेन्द्र सिंह भी जानते हैं। इसलिए उनके सामने चुप रहना ही ठीक है।

यह क्या तरीका है? हमने जो इसका उद्देश्य सोचा था कि छोटे-छोटे लोग भी इसमें आयें। लेकिन हो यह रहा है कि ताकतवर लोग आ रहे हैं। क्या आपने गरीब लोगों के नुमाइन्दों को भी मौका दिया है? क्या अनुसूचित जाति के लोगों के प्रतिनिधि भी इसमें होंगे। इसका कौन मेम्बर होगा और कितने साल के लिए होगा? गलत काम करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? एक कोआपरेटिव सोसाइटी से जो बड़े लोग लाभ उठा ले जाते हैं उनको आप किस तरीके से रोक पायेंगे? मैं आपसे कहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू के समय से कोआपरेटिव सोसायटीज का जो उद्देश्य रहा है वह कहां पूरा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इसके बारे में बहुत जानते हैं। आपके दिल में गरीबों के लिए बहुत हमदर्दी है। हम कोआपरेटिव सोसायटी को तभी ठीक मानेंगे जबकि सिर्फ गरीब लोगों को उससे मुनाफा मिले। हमारा उद्देश्य समाजवादी समाज का है तभी हमारा यह उदेश्य पूरा होगा। नहीं तो यह नारा मात्र रह जायेगा। नारों से सरकार में आस्था नहीं पैदा होती है। अगर सरकार चाहती है कि गरीबों में सरकार की ईमेज बढ़े तो उसे इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। जो लोग सोसायटी का मेन परपज पूरा नहीं होने देते हैं, जो इसका रुपया हड़प कर जाते हैं, उनका चालान किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी बताएंगे

कि उन्होंने अब तक कितने लोगों का चालान किया और उनसे कितना रुपया वसूल किया ?

इन सोसायटियों से नेता लोग काफी मोटे-ताजे हो गए हैं। उनका वेट बढ़ गया है जिससे उनको दिल का रोग भी हो जायेगा। यह एक नयी बीमारी पैदा हो गई है। आडिट कौन करता है ? .....(व्यवधान)

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : I hope, the House will be adjourning at 6 O'clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes.

श्री मूल चन्द डागा : मैं सिर्फ जनरल बातें कर रहा हूं। अगर, कल फिर यह आयेगा तो मैं अपने अमेंडमेंट दे सकूंगा। मैं बराबर न्याय नहीं कर पा रहा हूं। अंत में मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सहकारिता के क्षेत्र में जितनी पूंजी लगाई गई है और देश के आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन में जो सहकारिता आन्दोलन का योगदान रहा है, उसको मुझे लगता है कि नजरअन्दाज किया जा रहा है। डागा जी ने जो इवेल्यूशन की बात कही है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में आज चालीस संस्थाएं काम कर रही हैं। इसलिए, राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को और तेज करने की आवश्यकता है। आज सहकारिता आन्दोलन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले सहकारिता के माध्यम से किसानों को ऋण मुहैया किया जाता था। आज, कामर्शियल और राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस दिशा में सामने आए हैं। सहकारिता पर राज्य सरकारों का इस तरह से नियंत्रण बढ़ता जा रहा है जिससे इस आन्दोलन को काफी नुकसान हो रहा है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारे बिहार में भूमि विकास बैंक है। यह कहा जाता है कि आपने ऋण की वसूली ठीक से नहीं की। जब कभी बीच-बीच में कुछ नियुक्तियां होती हैं तो उस पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं, कमेटी बनाते हैं, जांच करते हैं। हम यह नहीं कहते कि जांच नहीं होनी चाहिए। जो सरकारी हस्तक्षेप होता है, उससे इस सोसायटी की ऑटोनॉमी को खतरा पहुंचता है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह बिल स्वागत करने योग्य है। इस आन्दोलन को इससे काफी बल मिलेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आग्रह करता हूं कि एक इवेल्युशन कमेटी बनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

SHRI G.L. DOGRA (Jammu) : I am supporting the Bill. I know that the Bill which the Minister has brought here, is of dire necessity. He has pointed out that it has been considered, re-considered not only by his Department but by various Governments and ultimately it has come before us. Whatever has been pointed out by my friends, Mr. Daga and others, are facts.

But they forget one thing that Rao Sahib has to work under the limitation that this is a State subject. This is neither a Central subject nor a Concurrent subject. Both as a lawyer and as a Parliamentarian, I have found that our Constitution is a very good document but there is one drawback in it.

Cooperatives should have been in the Concurrent List. Government is afraid of raising this subject because otherwise the Members on the other side may say that this is an interference with the autonomy of the States. But I think we should press this point before the Commission which is examining the question of Centre-States relationship, and try to bring this subject in the Concurrent List. I think it is only under the residuary powers that the hon. Minister has brought this Bill in this House. Nothing better than this could be done also. Otherwise what was happening was that if there was a dealing between a society and a State authority and a case was filed in that authority, there were different laws in different States to deal with that. For instance, if the case was filed say in Delhi, the decision will be different but if somebody filed the same case in Punjab, it would be different and, similarly, if it was filed in Bengal, the decision will be a third one, according to their laws. The Ministry of Cooperation was facing this difficultv. It is from this

[Shri G.L. Dogra]

point of view that this Bill has been brought forward. After the passing of this Bill the functioning will become very smooth. We have three sectors in our Constitution—private sector, States sector and cooperative sector. The cooperative sector has to function all over the country. It could not function smoothly unless there was one Central law which could regulate that sector. But I think they have done it under the residuary powers and, therefore, it may not be as strong as it should have been. Whatever best he could do under the circumstances, I think he has done that. He has brought forward this measure and I think we should work it. It is not a question of only criticising and criticising and finding defects or drawbacks. How can he reply about the drawbacks in the various States ? He cannot reply. If somebody is bungling in Rajasthan or if somebody is bungling in Bengal or if somebody is bungling in Punjab, you want to hold him responsible for that. If he does not give money to a State, they say we are not given money and if he gives money, somebody will say since you have given money, you reply about that State. How can he do it ? I do not think he can do it. Nor has he the authority to ask them to give the reply. Once he gives the money, he becomes *functus officio*. Therefore, I say, if this Bill is passed, it will give him power to have some control and to regulate the business of the cooperative sector throughout the territory of the Indian Union. This is a very important Bill and a great economic measure, and, therefore, I say that we should pass it with one voice. There is no need to discuss this Bill.

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मल्टी स्टेट्स कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1942 के अमेंडमैंट के रूप में मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। खासकर इस लिए कि हमारे सीनियर बुजुर्ग डोगरा साहब ने जैसा कहा कि यह एक्ट इस लिहाज से भी बहुत इम्पोटेंट है कि सारे देश में जिन सहकारी सोसायटीज का ज्यूरिसडिक्शन एक स्टेट से ज्यादा में है, उन सबको एक ही एक्ट के तहत लाया जाए, यही इस बिल की भावना है और पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य को भी इस बिल के दायरे में लाया गया है।

मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और इस वक्त जरूरत भी है, खास कर बैकवर्ड स्टेट्स में जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी इलाकों के ट्राइबल एरियाज में जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है। मैं जम्मू-कश्मीर के कानटेक्स्ट में बोलता हूं कि साबिका मिनिस्ट्री जो भगवान, खुदा की कृपा से गिर गई है उन्होंने हमारी स्टेट में कोआपरेटिव सिस्टम को दरहम-बरहम करके रख दिया था। और पिछले चुनाव में जो छोटी-छोटी कोआपरेटिव्ज थीं सबको वोट्स हासिल करने के लिए सारा सामान मुफ्त में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जितनी भी कोआपरेटिव सोसायटीज हैं मैजारिटी में, खास कर के जम्मू और लद्दाख में। कुछ को छोड़ कर, सारी सोसायटीज इस वक्त डीफंक्ट (defunct) हैं।

मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि डिफरेन्ट स्टेट्स के कोआपरेटिव मिनिस्टर्स को बुला कर कहा जाय कि इसको कैसे स्ट्रंथन किया जाय इस बारे में सुझाव दें ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक तरह से काम करे और गरीबों को रोजमर्रा की चीजें सस्ते दाम मे और आसानी से मिल सकें। अभी तक यह सिलसिला नहीं हो रहा है। इस बिल के द्वारा इस तरह की जो एक से ज्यादा स्टेट्स में सोसायटीज बनने जा रही हैं और इस कानून के तहत ला रहे हैं यह एक अच्छा स्टैप है।

इन चन्द अल्फ़ाज के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

شری پی. نام گیال (لداخ) : اپادھیکش مہودے ۔ ملٹی اسٹیٹس کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ ۱۹۴۲ کے امینڈمینٹ کے روپ میں منتری جی جو ودھئیک لائے ہیں میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں خاص کر اس لیے کہ ہمارے سینیئر بزرگ ڈوگرا صاحب نے جیسا کہا کہ یہ ایکٹ اس لحاظ سے بھی بہت امپارٹینٹ ہے کہ سارے دیش میں جن سہکاری سوسائٹیز کا جیورسڈکشن ایک اسٹیٹ سے زیادہ میں ہے ان سب کو ایک ہی ایکٹ کے تحت لیا جائے یہی اس بل کی بھاونا ہے اور پہلی بار جموں کشمیر راجیہ کو بھی اس بل کے دائرے

میں لایا گیا ہے۔

میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس وقت ضرورت بھی ہے خاص کر بیک ورڈ اسٹیٹس میں جیسے جموں کشمیر ہماچل پردیش یا پہاڑی علاقوں کے ٹرائبل ایریاز میں جہاں پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم بہت وائٹل رول پلے کرسکتا ہے۔ میں جموں کشمیر کا تجربہ میں بولتا ہوں کہ سابقہ منسٹری جو بھگوان۔ خدا کی کرپا سے گر گئی ہے انہوں نے ہماری اسٹیٹ میں کوآپریٹیو سسٹم کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پچھلے چناؤ میں جو چھوٹی چھوٹی کوآپریٹیو زتھیں سب کو ووٹوں حاصل کرنے کے لیے سارا سامان مفت میں ڈسٹری بیوٹ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی بھی کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں ہماری میں خاص کر کے جموں اور لداخ میں کچھ کو چھوڑ کر۔ ساری سوسائٹیز ہوقت ڈی فنکٹ defunct ہیں۔

میری منتری جی سے گزارش ہے کہ ڈیفرنٹ اسٹیٹ کے کوآپریٹیو منسٹرس کو بلا کو کہا جائے کہ اس کو کیسے انٹرخش کیا جائے اس بارے میں سمجھا دیں تاکہ پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم ٹھیک طرح سے کام کر سکے اور غریبوں کو روزمرہ کی چیزیں سستے دام میں اور آسانی سے مل سکیں۔ ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس بل کے دوارا اس طرح کی جو ایک سے زیادہ اسٹیٹس میں سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں اور ایک قانون کے تحت لا رہے ہیں یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے۔

ان چند الفاظ کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (बिजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं क्योंकि यह बिल बहुत अच्छा है। आजकल कोआपरेटिव सोसायटीज को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। लेकिन जो डीफाल्ट होते हैं उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। यह बिल गांवों में रहने वाली आम जनता के लिए उपयोगी होगी। आपने जो एम्पलाईज को गजटेड और नान-गजटेड कैटेगरी दी हैं और रैगुलर ऐम्प्लाईज और सैन्ट्रल रजिस्ट्रार को दिया है इसके लिए धन्यवाद देती हूं। पार्ट टाइम एम्पलाईज की वजह से कोआपरेटिव सैक्टर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। आप इसको इम्पलीमेंट कराइये और हर गांव में कोआपरेटिव सोसायटीज को रा-मैटीरियल और उनकी मारकेटिंग के लिए रजिस्ट्रार को मदद करनी चाहिए और साथ ही स्टेट तथा सेंटर के जो काम होते हैं, दोनों की रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिये नहीं तो यह स्टेट वाले काम करने नहीं देंगे क्योंकि मैं अपनी स्टेट में देख रही हूं। जो सैंट्रल बिल आ रहे हैं, उसमें स्टेट को भी करना चाहिये, ऐसी चीज इसमें होनी चाहिए कि स्टेट को इसको जरूर चालू करना पड़ेगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का आभारी हूं कि वह एक चिर-प्रतीक्षित बिल इस विश्वास के साथ यहां लेकर आये हैं कि इसको यहां स्थगित नहीं किया जायेगा और आज ही इसको पास कराया जायेगा।

यह बात सही है कि स्टेट को-आपरेटिव आपका विषय नहीं है, लेकिन जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो सहकारिता की बात के बिना इसको पूरा नहीं माना जायेगा।

सहकारिता के बारे में जो आलोचना करते हैं, दरासल वह सहकारिता के आलोचक हैं। असल में सहकारिता से जो लाभ हुआ है, गांव में देखें कि उसका कितना लाभ हुआ है, यह ठीक है कि कोई बेईमानी या मक्कारी कर सकता है, लेकिन चूंकि हमारे कृषि मंत्री स्वयं काश्तकार परिवार के हैं, काश्तकारी और सहकारिता के बारे में उनको पूर्ण जानकारी है, इसलिए वह जो बिल लेकर आये हैं, उस पर उन्होंने सब चीजों पर अच्छी तरह विचार किया है, और पूरी तरह कपड़छान होकर यह बिल आया है, इसलिये इसमें खामी होने की संभावना नहीं है।

हम जानते हैं कि सहकारिता आन्दोलन के पहले हमारे काश्तकार बिना बीज, बिना बैल और बिना साधनों के रह जाते थे, लेकिन आज वह स्थिति गांवों में नहीं है। आज एक भी खेत ऐसा नहीं मिलेगा जिसके किसान के पास बीज और खाद न पहुंचा हो। आज सहकारिता ने हमारे गांवों की जिन्दगी को बदलकर रख दिया है। हमारा यह विश्वास है कि सहकारिता अपने आप में

[श्री बनवारी लाल बेरवा]

एक पूर्ण अर्थ-शास्त्र है और इसको बराबर सहयोग दिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि कहीं किसी एक-आध ने बेईमानी की है, कहीं हरिजनों और गिरिजनों के साथ दिक्कत आई हैं लेकिन ज्यादातर लोगों ने अच्छा काम किया है और उस के अच्छे परिणाम सामने आये हैं। हमारी आशा है कि दिनोंदिन यह सहकारिता का आन्दोलन बढ़ेगा, इससे गरीब और देश मजबूत होगा। इस विश्वास के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI BISHNU PRASAD (Kaliabor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to say a few words on this Bill.

Sir, it has been said that the object of this Bill is to provide promotion, registration and supervision to a Central authority, but it does not speak anything about the promotional activities of the cooperative societies. Sir, the first cooperative society in the industrial sector was founded by the Christian Socialists. This society failed because there was no education of the workers in regard to the benefits of the society. Secondly, they could not provide any good leadership to the organisation. Thirdly they could not appreciate that the society is their own. In this regard I would like to mention about a cooperative jute mill, the first in the country. This is Silghat Cooperative Jute Mill which was established in my constituency twenty years back. This cooperative jute mill is now under closure. The State Government as well as the Government of India have not yet taken any steps to reopen it and as a result more than 1,500 workers have become unemployed. The situation which was being faced by the Christian Socialitists, still exists in our country, because we do not consider that the cooperative sector belongs to us.

Secondly, we do not give adequate education to the workers. Therefore, this Bill should have some promotional objective in which some educational programmes should have been there to for the cooperative workers.

As regards marketing, nothing has been said in this Bill. There was a Report in 1966 which was formulated by the Working Group on Cooperatives. This Working Group suggested that adequate number of marketing inspectors in the districts should be provided to look after the functioning of the cooperatives. This recommendation of the Working Group has not yet been implemented by the Government. Therefore, I would request the hon. Minister that he should see that this recommendation made by the Working Group is implemented for the betterment of the cooperative movement.

With these words, I conclude.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Mr. Deputy-Speaker, I shall be extremely brief.

Let me first welcome this Bill which, as the Statement of Objects and Reasons says, tries to meet some of the lacunae and the legal loopholes which are there.

In fact, as you know, more often cooperatives all over the country are not in very good shape and one of the reasons why they are not in very good shape is that there are frauds in cooperatives which take place taking advantage of loopholes, lacunae and inaccuracies in the laws that regulate them. In this context, when this Bill is brought in here to plug these loopholes and to correct the legal defects, it is definitely welcome.

One point here is regarding consumer cooperatives. The point regarding the help and protection to the consumers is included in the 20-point Programme. When it is acknowledged all over the country by all sections that there should be protection to consumers and strengthening of the consumer movement, that will go a long way in controlling the prices. Everybody says that prices are going up. Prices are going up not merely because of natural scarcities, but also because of the artificial scarcities which are created through the manipulation of the traders and this manipulation of the traders can be controlled if the consumers get together in cooperatives and have consumer cooperatives.

Now, what is the help that the Govern-

ment is giving to consumer cooperatives ? What is the encouragement that the Government is giving for the formation of consumer cooperatives ? My plea is that the Government should give more and more help including financial assistance, so that consumer cooperatives are formed, so that the consumer is strengthened, so that the consumer movement as comtemplated in the 20-point Programme takes off and prices are controlled to the greatest extent possible.

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटीज बिल सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय का मकसद तो बड़ा सुन्दर और पवित्र है, लेकिन उनको यह जानकारी कर लेनी चाहिए कि जो कोआपरेटिव बैंक और लैंड मार्गेज बैंक जनता के लिए खोल रखे हैं, उनकी स्थिति क्या है। मैं छोटा नागपुर से आता हूं। वहां की वास्तविक स्थिति यह है कि खासकर पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले लोगों को लैंड मार्गेज बैंकों द्वारा किर्लोस्कर और राजू कमल की पुरानी मशीनें रंग कर नई मशीनों के नाम पर दी जा रही हैं और अधिकारीगण द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है।

गरीब किसानों का शोषण किया जा रहा है। किस तरह से यह लैंड मार्गेज बैंक बिहार में और खास तौर से छोटा नागपुर में कार्य कर रहा है उसके लिए एक जांच कमेटी बैठाने की कृपा करें। वह बिल्कुल लूट का अड्डा बना हुआ है जिससे कितने ही आदिवासी परिवार उजड़ चुके हैं, कितने और दूसरे परिवार उजड़ चुके हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी खतरनाक स्थिति छोटा नागपुर इलाके में पैदा हो गई है। पटना और मुजफ्फरपुर के इलाके में जागरूक लोग हैं। लेकिन छोटा नागपुर में कम पढ़े-लिखे लोग हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश का बहुत सा इलाका है जहां बिल्कुल यह शोषण का अड्डा हो गया है। इसके लिए यह चीज देखनी होगी कि जिस पवित्र मकसद से यह बिल माननीय मंत्री जी लाये हैं उसका सही उपयोग भी होना चाहिए। जंगलों के सही उपयोग के लिए जंगल से सम्बन्धित कोआपरेटिव खोलना चाहिए जो पहाड़ी बांस और सरई इत्यादि के सिलसिले में हो। इनके द्वारा इस प्रकार का काम होना चाहिए जिससे 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है वह फायदा उन लोगों को हो सके। इसलिए इस अमेंडमेंट को लाने के पहले और लाने के बाद भी इसपर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि आप जिस मकसद से यह बिल लाये हैं उसमें कामयाब हो सकें।

श्री कंवर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लाया गया है, इसलिए मैं इसका स्वागत और समर्थन करता हूं। परन्तु सहकारिता का जो उद्देश्य है, एक व्यक्ति को, एक इकाई को भी पूरी तरह से लाभ पहुंचाने का परस्पर सहयोग के आधार पर, उस उद्देश्य को सामने रखते हुए मेरी इस संबंध में कुछ शंकायें हैं जिनको भी मैं रखना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी जब उसका खुलासा करें तो इन बातों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

यह अन्तरप्रान्तीय सहयोग के आधार पर हैं तो सहकारिता का आधार जो विकेन्द्रित रूप से होना चाहिए क्या उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा ? अगर हम एक इकाई को सहकारिता का क्षेत्र बनाते हैं और उसको इतनी ज्यादा स्वायत्तता देते हैं तो क्या हम ऐसी कमजोर इकाइयों की सहायता करेंगे ? अगर ऐसी सहायता की दृष्टि से इसका उपयोग हुआ तो ये छोटी-छोटी जो सहकारी संस्थाएं हैं जो विनिमय का काम करती हैं, जैसे जो माल किसान उत्पादन करता है उसे सहकारिता के आधार पर लेकर उसकी उपयुक्त कीमत उसको मिले इसके लिए भी वह काम करती हैं और साथ-साथ किसान की जो आवश्यकताएं हैं उसको भी उपलब्ध कराने के लिए विनिमय का काम वह करती हैं, उनको क्या उससे लाभ होगा ? एक दृष्टि से जहां तक मैं समझा हूं लाभ दिया जा सकता है। जो सम्पन्न प्रान्त हैं जहां पर सहकारिता बहुत मजबूत हैं वहां पर लाभ भी हो रहा है और कुछ ऐसे प्रान्त हैं जैसे अभी बिहार का उदा-

[श्री केयूर भूषण]

हरण दिया और ऐसे ही हमारा क्षेत्र आदिवासियों के बाहुल्य का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और उड़ीसा का बहुत सा क्षेत्र है, ऐसे अनेक प्रान्त और इलाके हैं जिनमें स्वयं की क्षमता कम है, जहां पर कि स्वयं सहकारिता से हम एकत्रित कर सकें और सहकारिता का एक बड़े उद्योग के रूप में हम उपयोग कर सकें। जैसे महाराष्ट्र में स्पिनिंग फैक्ट्री बहुत अच्छे ढंग से तैयार की जा सकती है। बड़े सम्पन्न किसान कपड़े के मिल का भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। मगर दूसरे जो क्षेत्र हैं जिनके नाम मैंने गिनाए उनके अन्दर संभावना है जैसे मेरे क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन की अच्छी क्षमता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की क्षमता पानी देने के ऊपर निर्भर है लेकिन मेरे क्षेत्र में बिना पानी के गन्ने का उत्पादन होता है। उससे आगे शक्कर बनाने का भी हम अरमान रखते हैं। हम चाहते हैं कि यह किसी एक व्यापारी के हाथ में न आए लेकिन सहकारी क्षेत्र में जो किसान हैं वे अपने को असमर्थ पाते हैं, इतनी क्षमता ला नहीं सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए अन्य प्रान्तों का सहयोग लेने के लिए यह जो बिल लाया गया है इसके द्वारा यदि सहकारिता के आधार पर पिछड़े इलाकों में अन्तिम व्यक्ति को लाभ और सहायता मिलेगी तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन अभी जो सहकारी क्षेत्र में बैंक हैं या दूसरे उपभोक्ता भण्डार हैं उनसे उस अन्तिम व्यक्ति को क्या कोई लाभ पहुंचा है—इस संबंध में क्या कोई सर्वे किया गया है? जब हम किसानों की ओर देखते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि बहुत से किसानो की जमीनें भी बैंकों के आधार पर समाप्त हो गई हैं। वह किसान जो इस प्रकार से कर्ज से लद गए, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या कभी इस बात की भी जांच की गई है?

हमारे क्षेत्र का हमें अनुभव है। किसान कुआं बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेते है लेकिन कहीं पर उनको कुएं से पानी प्राप्त होता है और कहीं पर पानी प्राप्त नहीं होता है। किसी किसान पर दस हजार का कर्ज हो गया और कुयें से पानी भी नहीं मिला तो वह किस प्रकार से उस कर्ज से मुक्ति पा सकेगा? क्या सहकारिता आन्दोलन किसी प्रकार उसकी सहायता कर सकेगा? क्या दोबारा कुआं खोदने के लिए उसको सहायता मिल सकेगी? मेरा अनुरोध है कि सहकारिता के नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए कि अगर सही कारणों से कोई व्यक्ति कर्ज अदा नहीं कर सका हैं तो उसको डिफाल्टर न माना जाए, बल्कि उसको पुनः ऋण दिया जाए, पुरानी किस्तें माफ की जायें या उनपर कोई ब्याज न लिया जाए। यदि इस प्रकार से आप किसानों की मदद करेंगे तभी वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा।

जो छोटे किसान हैं जिनको ऋण मिलना चाहिए वे महीनों चक्कर लगाते हुए घूमते रहते हैं, एक-एक कागज भरवे के लिए, उसके बाद यदि उनके ऋण की मंजूरी भी हो जाती है तो भी शोषण के चलते उनका बहुत सारा पैसा ऐसे ही निकल जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इन सभी चीजों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री केयूर भूषण : ऐसे प्रान्त जो सहकारिता के क्षेत्र में पूरी तरह से साधन लगा नहीं सकते हैं, उन पिछड़े प्रान्तों को क्या इस बिल के द्वारा कोई लाभ मिल सकेगा। यदि इसके द्वारा वह लाभान्वित हो सकेंगे तो हमें वास्तव में बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरा अनुरोध है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं और जो कमजोर क्षेत्र हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बिल का लाभ वहां तक भी पहुंच सके यही मेरा निवेदन है।

श्री राम कुमार मीना (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी द्वारा जो बिल सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं।

सहकारिता मूवमेंट सभी जगहों पर चल रहा

है, लेकिन इसमें यह नहीं देखा गया है कि कहां इसमें कमी है। मेरी ऐसी मानना है कि सहकारिता मूवमेंट कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है, बैंकों में भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें प्राइवेट लोग, पैसे वाले लोग हैं, जिसकी वजह से गरीबों को जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज बैंकों की मारफत जो लोन काश्तकारों, हरिजनों या दूसरे उपकरणों आदि के लिए मिलता है, उसमें काश्तकारों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बीच की जो एजेंसियां हैं, वे काश्तकारों का शोषण करती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पांच होर्स-पावर की मोटर के स्थान पर तीन होर्स पावर की मोटर लगाई जाती है और पैसा बैंक से मंजूर कराकर पांच होर्स पावर का ले लिया जाता है। इस प्रकार काश्तकार को दोहरी मार पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बैंकों में सुधार लाया जाए और जो भी सामान की सुविधा हो, चाहे ट्रैक्टर हो, व्हीकल हो या कृषि के काम में आने वाली मशीनरी हो, वह सोसायटी के माध्यम से सप्लाई की जाए। मेरा ख्याल है कि इससे काश्तकारों को लाभ होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि प्राइवेट डीलर जो हैं, उनको सरकार को तुरन्त बन्द कर देना चाहिए और सोसायटी के माध्यम से ही काश्तकारों की सामान की सप्लाई होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : Mr. Deputy-Speaker, I am very grateful to the hon. Members for the very strong support they have extended to this comprehensive Bill on Multi-State Cooperative Societies. In fact, this is a long-awaited Bill.

This Bill has a very limited scope. This Bill is to provide for the incorporation of Multi-State Cooperative Societies at the Central level. Now the difficulty is that the multi-State Cooperative Societies or Multi-Unit Cooperative Societies are already in existence. They were registered under the old Act in different States and they were administered and regulated under the bye-laws, rules and regulations of those States. Therefore, it was not possible to exercise any supervision or control over those Societies because the powers lay with the Registrars of those respective States where they were registered and if the Registrar passed any orders to regulate the functioning of Multi-Unit Society, the appeal lay with the State Cooperative Department.

Most of my friends have appreciated the spirit behind this Bill and I am sure even Shri Mool Chand Daga, had he gone through the Bill, would have been happy at the introduction of this Bill.

Shri Mool Chand Daga himself admitted that he has not gone through the provisions of this Bill.

Shri Girdhari Lal Vyas, Shri G.L. Dogra, Shri Banwari Lal Bairwa, Shrimati Vidya Chennupati and my friend from Ladakh, all these friends have given their support to the Bill.

I will briefly answer the points raised by them.

There has been a general discussion on the working of Cooperative Societies. But, I hope it is well-understood by the House and by you that the scope of this Bill is not to have a debate on the working of Cooperative Societies as such.

Shri Mool Chand Daga and some other Members have expressed the fear that there is restriction on the membership. But I assure the House that there is no such restriction and there is nothing to be afraid on this account.

We have 115 million people as members of cooperative societies in India today ; it is a very large number, larger than the total population of many countries of the world. There are 2.88 lakhs of societies as such. But these are not covered by this Bill ; they are set up under the Cooperative Societies Acts of the States in which they have been established.

[Rao Birendra Singh]

18 hrs.

As regards loans and credit, particularly in the agricultural sector, most of them flow through the cooperative societies and they have been increasing at a very fast rate. There are a large number of cooperative societies for credit purposes also, about 95,000 in number.

Shri G.L. Dogra explained properly that we have brought this Bill under Entry 44 of the Union List of the Constitution.

My friend from Ladakh will be glad to know that this Bill extends also to the State of Jammu and Kashmir, and we have got their concurrence also.

For the first time in this Bill, which we consider a model Bill for all States to follow, we have incorporated and enunciated even the principles of cooperatives. That is part of the Bill, a Schedule, as to what is to be done, what is to be kept in mind, while we develop our economy through the cooperatives.

Shri Prasad raised the question of education of members. He will be glad to know that we have specifically provided that a part of the profit shall be set aside for education of members also.

Similarly, there are various new provisions. Mr. Daga is not here. He raised a point about the bigger people, the influential people, controlling the cooperative societies. We have kept that also in mind. We have provided in this Bill that nobody will be able to hold the office of Chairman or the Vice Chairman, simultaneously in more than one multi-State cooperative society. Similarly we have tried to see that people do not continue indefinitely once they take control of a society, and we are providing that the maximum tenure for which a person can serve as Chairman or Vice Chairman will be two terms. That, I think, is something which will help the new people to come up, which will help the younger generation also to take part in the cooperative development.

There are various other points mentioned by hon. Members. Shri Banwari Lal mentioned about the principles. Those principles, as I have stated, have been incorporated in the Bill itself. Promotional activities and others will depend upon the objectives of the society when it is established. Mr. Faleiro talked about further activities. Mr. Keyur Bhushan wanted that the activities for helping the farmers in various States should also be coordinated. That is also possible if a multi-State cooperative society is formed. A federation of cooperative societies can be formed for helping the farmers' service societies and others. The federation can be registered at the national level. This will help people to set up such federation and national level cooperative societies. Similarly, consumer societies can also be helped and consumer societies at national level can also be registered—at Central level.

There is nothing also that I would like to say at this juncture because I know that you are fully satisfied that this Bill has not come too soon before the House. This will provide a very good model for the States to follow, and I hope that they will also take action to improve the working of cooperative societies in their respective States, by also amending the co-operative laws of the States so far as the principles that we have laid down in this central legislation which I hope Parliament would pass.

Thank you very much.

MR DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That the Bill to consolidate and amend the law relating to co-operative societies with objects not confined to one State and serving the interests of members in more than one State, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the question is :

"That clauses 2 to 110 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 2 to 110 were added to the Bill.

The First Schedule and the Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

RAO BIRENDRA SINGH : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान क्लाज 39 और 40 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिनमें उन्होंने जनरल बोडी और सेन्ट्रल रजिस्ट्रार को इलेक्टेड मेम्बर्स को हटाने का अधिकार दिया है। इनमें यह लिखा है :

> "An elected member of a board who has acted adversely to the interests of multi-State co-operative society may, on the basis of a report from the Central Registrar or otherwise, be removed from the board upon a resolution of the general body....etc.".

Then Clause 40 says :

> "If in spite of cessation of office etc., a member of the board refuses to vacate his office, the Central Registrar shall, by order in writing, remove him from such office."

जहां तक प्रजातांत्रिक भावना का सवाल है, जनरल बोडी तो उस आदमी को हटा सकती है लेकिन सेन्ट्रल रजिस्ट्रार को जो यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी मेम्बर को हटा सके, यह प्रजातान्त्रिक भावना के विपरीत है और आपको निश्चित तरीके से इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

दूसरा प्वाइंट मैं एक्जीक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसमें आपने क्लाज 44 और क्लाज 45 में यह अधिकार दिया है।

> "Where the Central Government has subscribed to the extent of more than one-half of the share capital of a national co-operative society, it shall be obligatory on such a society to seek prior approval of the Central Government to the appointment of Chief Executive and the functional directors."

इतनी बड़ी-बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनमें 100, 150 और 200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। जब 50 परसेन्ट से ज्यादा के शेयर गवर्नमेंट के होंगे, तो चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर अगर सरकार द्वारा नामीनेटेड नहीं होगा, तो व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगी। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि जो पूंजी कोआपरेटिव सोसाइटीज में सरकार की इन्वेस्ट होगी, वह सुरक्षित रह सके और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके।

तीसरा प्वाइंट मेरा क्लाजेज 69 से 73 के बारे में है। इनमें यह लिखा हुआ है।

> "Where an inquiry is held under section 69 or an inspection is made under section 70, the Central Registrar may apportion the costs, or such part of the costs, as he may think fit, between the multi-State co-operative society, the members or creditor demanding an inquiry or inspection...."

आप जो जांच करायेंगे, तो उसकी कास्ट मेम्बर से वसूल करेंगे। यह कहां का न्याय है। इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। आपने इसमें इस प्रकार का प्रावधान रख दिया है कि जो इंक्वायरी फ्राडूलेंट मामले या मिसप्रोप्रियेशन की होगी, उसकी कास्ट मेम्बर से वसूल होगी। यह बिलकुल न्यायोचित नहीं है।

RAO BIRENDRA SINGH : If he has committed a fraud, who should pay ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप उसकी इंक्वायरी कराइए और सजा दिलवाइए। मेम्बर से पैसा वसूल करने की जो बात है, वह सही नहीं है और इस प्रकार की व्यवस्था गलत हैं।

इसके बाद मेरा सुझाव क्लाजेज 96 और 97 के बारे में है। इनमें यह व्यवस्था है :

These clauses relate to offences and penalties. 96(1) says :

> "A multi-State co-operative society or an officer or member thereof wilfully making a false return or furnishing false information..."

Then clause 97 provides :

> "(1) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.
>
> (2) No prosecution shall be instituted under this Act without the previous sanction of the Central Registrar...."

दूसरी जगह जो प्रावधान है, उसमें यह दिया गया है कि गवर्नमेंट की मंजूरी होनी चाहिए लेकिन एक कोओप्रेटिव के चुने हुए चेअरमेन और बोर्ड आफ डायरेक्टर के खिलाफ प्रोसीक्युशन करने का अधिकार रजिस्टार को दे दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि यह अधिकार गवर्नमेंट को होना चाहिए कि मिस अप्रोप्रियेशन या फ्राड के जितने भी केसिज हों उनके लिए गवर्नमेंट इजाजत दे।

इस प्रकार की बहुत सारी कमियां इस बिल में हैं। आपने स्वयं भी यह कहा है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था लेकिन सेलेक्ट कमेटी इस पर पूरा विचार नहीं कर सकी क्योंकि लोक सभा का समय समाप्त हो गया था। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं।

डेयरी फेडरेशन का काम है। इससे भी काश्तकारों को क्या मिलता है ? छोटी-छोटी डेयरी गांवों में लोग बनाकर बैठे हुए हैं उनको कितना पैसा मिलता हैं और डेयरी फेडरेशन वाले कितना पैसा कमाते हैं। इस सबकी व्यवस्था आपको इसमें करनी चाहिए। इसी प्रकार से फ्रूटिलाइजर के सम्बन्ध में जो सोसाइटियां चल रही हैं और आपको इफको है। इफको में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है और उसका कितना लाभ जनता को मिल रहा है। क्या खाद लोगों को ठीक तरह से मिल रहा है, उसकी व्यवस्था ठीक तरह से चल रही हैं ? उसका आपने इस बिल में क्या प्रावधान किया है ?

आपके लेण्ड मारगेज बैंक हैं। इनके द्वारा जो पैसा लोगों को दिया जाता है उसके लिए लोगों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। लोगों से चार-चार हजार रुपये के बारह-बारह हजार रुपये वसूल किये जाते है। आपके सी०पी०सी० में भी यह है कि मूल से दुगना तक पैसा वसूल किया जा सकता है। आपने बीस सूत्री कार्यक्रम में मनी लेण्डर्स को समाप्त किया है जोकि बहुत अधिक पैसा वसूल करते थे। लेकिन आपका लेण्ड मारगेज भी वही कर रहा है। इसके द्वारा भी गरीब लोगों की जमीनें नीलाम करायी जाती हैं। जब सी०पी० सी० के तहत कानून बना हुआ है कि दुगने से ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जा सकता है फिर भी आपके लैण्ड मारगेज बैंक और नेशनेलाइज बैंक दुगने से अधिक तिगुना पैसा तक वसूल कर रहे हैं। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। आप इन बैंकों के जरिये से जो इतना अधिक पैसा वसूल किया जा रहा है उसको रोकिये।

हमारे यहां असीम और शाहपुर में दो कोआप्रेटिव मिल लगाने की व्यवस्था हो रही हैं। हमने सोसाइटी भी बना ली है। आपसे निवेदन है कि आप इन दोनों मिलों के लिए पैसा दिलायें जिससे कि वहां के हजारों लोगों को काम मिल सके। इन सोसाइटीज के जरिये से वहां का विकास हो सकता है और लोगों को काम भी मिल सकता है।

कृषि मंत्री (श्री राव बीरन्द्र सिंह) : व्यास जी ने सोसाइटियों के लिए जो पैसे की बात कही है उस पर हम जरूर ध्यान देंगे। लेकिन दूसरी जो और बातें उन्होंने कही हैं वे कुछ नहीं जंची। उन्होंने क्लाज 39 में रिमूवल आफ मेम्बर्स में कहा कि रजिस्ट्रार को इसका हक दिया गया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने वह क्लाज ठीक से नहीं पढ़ा है। सेन्ट्रल रजिस्ट्रार को रिमूवल का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। सेन्ट्रल रजिस्ट्रार तो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और यह बोर्ड के मेम्बर्स को अधिकार होगा और वह दो-तिहाई की मेजोरिटी से अधिकार होगा। व्यास जी इस क्लाज को पढ़ लें।

Sir, I will satisfy the hon. Members on this point. The Clause says :

> "An elected member of a board who has acted adversely to the interests of multi-State cooperative society may, on the basis of a report from the Central Registrar or otherwise,...

From any other source there can be a report that he is acting against the interests of the board.

> "...be removed from the board upon a resolution of the general body passed at its meeting by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting at the meeting."

What more security can be provided ?

Similarly in Clause 44, the hon. Members had been asking for better regulation, supervision and control of the cooperative societies. Well, it is absolutely essential where government's financial interest is involved in a very hig way then in such national cooperatives the Chief Executive and functional Directors should be proper people. They should not be appointed just from anywhere to provide a job to somebody who is close...

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने कहा था कि गवर्नमेंट से कराइए।

राव बीरेन्द्र सिंह : गवर्नमेंट भी करेगी।

That will be through a panel authority constituted by the government. Those people will be screened.

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा मकसद यह था कि प्राईवेट इन्डीविजुअल्स अगर इस मैनेजमेंट में जहां सैंकड़ों रुपए लगे हैं, ऐसे लोग आ जायेंगे तो क्या होगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जो आप चाहे रहे हैं, वही बता रहे हैं।

That will be properly regulated so that proper type of people come.

Similarly, it is absolutely essential that to prevent harassment of members we give powers to higher court. That is why it has been provided that it will be first class Magistrate. It is in conformity with the practice in State laws. There the permission is given by the State's Registrar and here it will be by the Central Registrar. Government does not want to directly come into the functioning of the cooperative societies.

Sir, I have touched all the points raised by the Members.

(*Interruptions*)

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा आखिरी प्वाइन्ट ध्यान में रखियेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : ध्यान में रखेंगे।

As regards the Land Mortgage Banks about which Shri Vyas has complained I would like to say that they work under the State laws. If there are any mal-practices we can only point it out to the States.

श्री गिरधारी लाल व्यास : कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह हम नहीं कर सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सुझाव तो दे सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, सुझाव दे सकते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

18.19 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Sixty-third Report

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN : Sir, I beg to present the Sixty-third Report of the Business Advisory Committee.

18.20 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 24, 1984/ Sravana 2, 1906 (Saka).

Printed by the Manager, Mittal Printers, K-13 Navin Shahdara, Delhi-110032